न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

श्रीमति स्वीटी रायखेडे पत्नि कमलेश
रायखेडे के मुख्तायार आम कमलेश
रायेखेडे निवासी 24 अनुपम नगर
भोपाल तह0 व जिला भोपाल
पोपराईटर प्राचीर इन्फ्रास्टक्चर्स
(डिवीसन आफ मेसर्स प्राचीर इन्डस्ट्रीज)
भोपाल तह.व जिला भोपाल .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीमति सरोज जैन पत्नि संतोष जैन
निवासी वार्ड नं. 2 जैन चेत्यालय के पास
शनीचरा वार्ड होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण

<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता</u>

1 विश्वास सोनी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 5-1-14 को पेश

पुररीक्षणकर्ता यह निगरानी राजस्व प्रकरण क्र. 5 अ/12 वर्ष 2013–14 श्रीमती सरोज जैन में पारित तहसीलदार महोदय होशंगाबाद के आदेश दि. 13.11.2013 से क्षुद्ध एवं व्यथित होकर प्रस्तुत कर रहा है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1641–पीबीआर / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 13–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में पूर्व में भी आवेदिका द्वारा राजस्व निरीक्षक के इसी प्रतिवेदन दिनांक 13–11–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 210–पीबीआर / 14 प्रस्तुत किया गया था, जो कि दिनांक 7–1–2014 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ कि राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमाकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा अंतिम रूप से सीमाकंन आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदिका को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, प्रीम्याच्योर होने के कारण अग्राह्य की गई है । अतः पुनः इसी प्रतिवेदन के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी किन्ही भी परिस्थितियों में ग्राह्य योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	